न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 10/2018

1. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मगन सिंह, जाति राजपूत, निवासी बवाल तहसील परबतसर जिला नागौर हाल निवासी बी 65 अयोध्या नगर भूरा पटेल मार्ग गांधी पथ (पश्चिम) जयपुर।

....................निगरानीकार

बनाम

1. करणसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह जाति राजपूत, निवासी बवाल तहसील परबतसर जिला नागौर।
2. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मायापुर, पंचायत समिति परबतसर, तहसील परबतसर, जिला नागौर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मायापुर, पंचायत समिति परबतसर, तहसील परबतसर, जिला नागौर।

.........गैरनिगरानीकार

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बविरूद्ध पट्टा संख्या 42/21.11.2017, ग्राम पंचायत मायापुर को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री नेमीचन्द शर्मा, श्री वी.पी. सिंह राठौड़ गैरनिगरानीकार संख्या 01 ओर से।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मायापुर स्वयं निगरानीकारी संख्या 02।

निर्णय

दिनांक :–31.08.2021

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी भूमि विलेख पट्टा संख्या 42/21.11.2017 जो करणसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह निवासी बवाल के नाम से जारी है, को निरस्त करवाने बाबत पेश की गयी है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत मायापुर से रिकॉर्ड तलब किया गया।
2. गैरनिगरानीकार संख्या 01 की तरफ से विद्वान अधिवक्तागण श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री नेमीचन्द शर्मा व श्री वी.पी. सिंह राठौड द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया।
3. गैरनिगरानीकार संख्या 02 श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मायापुर स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति दर्ज की गई व गैर निगरानीकार संख्या 03 सरपंच, ग्राम पंचायत मायापुर बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

A. ग्राम बवाल के आम गुवाड़ में निगरानीकार की जायगा स्थित है। जिसके उत्तर में रामसिंह पुत्र रेंवत सिंह, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में सुगनचन्द्र ओसवाल की जायगा व पश्चिम में स्वयं की जायगा है।

B. निगरानीकार का उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 1040.6 वर्गफुट है व चार दीवार युक्त है जो कि लगभग 50–60 साल पुरानी है। निगरानीकार के इस भूखण्ड के चिपते सन्तोषकुमार कोठारी पुत्र स्व. सुगनचन्द कोठारी की जायगा है जिसे सन्तोषकुमार कोठारी द्वारा सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय हेतु दी गई है। निगरानीकार की भूमि जो इसके चिपते हुये थी, विद्यालय के बच्चों के बच्चों के खेलकुद के प्रयोजन से दी हुई थी। उक्त विद्यालय 2006 में बन्द होने पर उक्त भूखण्ड निगरानीकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया था परन्तु निगरानीकार के जयपुर रहने के कारण उक्त भूखण्ड सार संभाल व देखभाल के लिए गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पिता रघुवीरसिंह पुत्र मदन सिंह को दिया हुआ था। उक्त जायगा में हौद के उपर कमरा 1989 से निगरानीकार के बने हुए है।

C. गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा संतोषकुमार कोठारी से उसकी जायगा की गिफ्ट डीड अपने हक में निष्पादित करके उसकी ओट में निगरानीकार की जायगा जो विद्यालय के बच्चों के खेल–कूद के प्रयोजन से दी हुई थी को हड़पने की नियत से संरपंच से सांठ–गांठ कर उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन विक्रय विलेख पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 156 / 157(क),(ख) / 157(2), 158 (1), (2) के अन्तर्गत पेश किया जिस पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पंचो की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकार की भूमि का पट्टा संख्या 42 गैर निगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जारी कर दिया गया।

D. सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मायापुर ने मौके की स्थिति के विपरित, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री की बिना जांच किये उक्त भूमि का पट्टा जारी कर न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर घोर विधिक व तथ्यात्मक त्रूटि की है इत्यादि–इत्यादि कथन करते हुये निगरानी स्वीकार कर आवासीय पट्टा संख्या 42 दिनांक 21.11.2017 निरस्त करने का कथन किया गया है।

E. निगरानीकार द्वारा निगरानी के संलग्न ग्राम पंचायत मायापुर की पट्टा मिसल संख्या 329 करण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

5. निगरानीकार द्वारा दिनांक 18.06.2018 को विष्णु कंवर पत्नी उदयभान सिंह वार्ड पंच वार्ड संख्या 10 ग्राम पंचायत मायापुर, छोटू सिंह पुत्र छोग सिंह, भंवर सिंह पुत्र धार सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र अमराव सिंह, जय सिंह पुत्र उगर सिंह, मूल सिंह पुत्र भीम सिंह के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक SPL दिनांक 10.10.2012 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसे शामिल मिसल किया गया।

6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मायापुर, पचायत समिति परबतसर द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.06.2018 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम

मूल रिकॉर्ड यथा मूल मिसल संख्या 329 मय मूल पट्टा संख्या 42 प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी जिसमें :-

A. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह ने बहस में मुख्यतः निगरानी मिमो में किये गये कथनों को ही दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बवाल के आम गुवाड़ में निगरानीकार की जायगा स्थित है उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 1040.6 वर्गफुट है व चार दीवार युक्त है जो कि लगभग 50-60 साल पुरानी है। निगरानीकार के इस भूखण्ड के चिपते सन्तोषकुमार कोठारी पुत्र स्व. सुगनचन्द कोठारी की जायगा है जिसे सन्तोषकुमार कोठारी द्वारा सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय हेतु दी गई है। निगरानीकार की भूमि जो इसके चिपते हुये थी, विद्यालय के बच्चों के बच्चों के खेलकुद के प्रयोजन से दी हुई थी। उक्त विद्यालय 2006 में बन्द होने पर उक्त भूखण्ड निगरानीकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया था परन्तु निगरानीकार के जयपुर रहने के कारण उक्त भूखण्ड सार संभाल व देखभाल के लिए गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पिता रघुवीरसिंह पुत्र मदन सिंह को दिया हुआ था। उक्त जायगा में हौद के उपर कमरा भी निगरानीकार का बना हुआ है। गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा संतोषकुमार कोठारी से उसकी जायगा जिसमें पूर्व में विद्यालय संचालित था व सरकारी खर्च से निर्माण भी हो रखा था की गिफ्ट डीड अपने हक में 2016 में निष्पादित करवाकर उसकी ओट में निगरानीकार की जायगा जो विद्यालय के बच्चों के खेल-कूद के प्रयोजन से दी हुई थी को हड़पक रने की नियत से संरपंच से सांठ-गांठ कर संतोषकुमार कोठारी से गिफ्ट में प्राप्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु मिथ्या तथ्यों के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के उपनियमों के तहत आवेदन पेश किया व ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पंचो की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर आवेदक पात्र नहीं होने के उपरान्त भी उसे निगरानीकार की भूमि जो विद्यालय भवन के चिपते हुऐ थी, का भूमि का पट्टा संख्या 42 गैरनिगरानीकार संख्या 01 की पैतृक भूमि मानते हुऐ जारी कर दिया गया। जबकी प्रस्तुत प्रकरण में -

- आवेदक द्वारा अपने आवेदन में भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा होने का कथन किया है व आवेदन के संलग्न शपथ-पत्र में गत 02 वर्ष से कब्जा होने का कथन किया है जबकी आवेदक द्वारा जिस भूमि हेतु पट्टा चाहा गया है उसे संतोष कुमार कोठारी से जरिये गिफ्ट प्राप्त करने के संबंध में दस्तावेज लगाये गये है उसके अनुसार संतोषकुमार द्वारा आवेदक को दिनांक 27 फरवरी 2016 को भूमि गिफ्ट की गई है।
- श्री संतोष कुमार कोठारी की उक्त जायगा जिसमें पहले विद्यालय संचालित था उसे निदेशक, प्रारंभिक, शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा दिनांक 17.12.2013 में विद्यालय भवन संबंधित भवन मालिक को सुपुर्द किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है व श्री संतोष कुमार कोठारी द्वारा उक्त आदेश की पालना में

(सांख्यिकी), प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को जरिये पत्र भिजवाई है।

–आवेदक द्वारा श्री संतोष कुमार कोठारी से गिफ्ट में प्राप्त भूमि पर पट्टा बनवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें अंकित खाली भूमि व उसमें दक्षिण दिशा में जो सुमन कंवर पत्नी करण सिंह का पड़ोस अंकित किया है वह भूमि निगरानीकार की निजी भूमि है जो निगरानीकार द्वारा पूर्व में विद्यालय में बच्चों के खेलने के उपयोग हेतु दी गई थी व विद्यालय बन्द होने के बाद निगरानीकार के कब्जे में है।

–पट्टा मिसल में पट्टा बनाने से पूर्व श्री शक्ति सिंह जो पट्टा अवेदन में गैरनिगरानीकार संख्या 01 का पड़ोसी भी बताया गया है के बयान दिनांक 20.10.2017 व 05.11.2017 को दर्ज किये गये उसमें श्री शक्ति सिंह के हस्ताक्षरों में भी बहुत ज्यादा भिन्नता है वह अन्य गवाहों के बयान जिसमें बहुत पुराने समय से गैरनिगरानीकार संख्या 01 का कब्जा होने का कथन किया गया है, जबकि गैरनिगरानीकार द्वारा स्वयं उक्त जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्मित क्षेत्र व खाली भूमि पर अपना 02 वर्ष पुराना कब्जा बताया गया है अतः पट्टा फर्जी बयानों व कूटरचित साक्ष्यों के आधार पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में पंचायत द्वारा जारी किया गया है।

–पत्रावली में गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र जिसके संलग्न जैर निगरानी भूखण्ड पर उनके कब्जे के सबूत के रूप में ग्राम पंचायत में श्री संतोष कुमार कोठारी द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जो गिफ्ट डीड प्रस्तुत की है वह एक अपंजिकृत दस्तावेज है व उक्त अपंजिकृत दस्तावेज से श्री संतोष कुमार कोठारी की गिफ्ट डीड में वर्णित चल संपत्ति जो गैरनिगरानीकार संख्या 01 को दान के स्वरूप में देना बताया गया है के टाईटल का हस्तान्तरण इस गिफ्ट डीड से गैरनिगरानीकार संख्या 01 को हुआ हो यह नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त गिफ्ट डीड पर नियमानुसार पंजियन शुल्क राज्य सरकार को क्रेता द्वारा नहीं जमा करवाया गया है। अतः उक्त गिफ्ट डीड जो पंजियन शुल्क नहीं चुकाये जाने के कारण प्रारम्भ से ही शुन्य है, के आधार पर पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है व खारिज योग्य है।

–पत्रावली में गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र जिसके संलग्न जैर निगरानी भूखण्ड पर उनके कब्जे के सबूत के रूप में ग्राम पंचायत में श्री संतोष कुमार कोठारी द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जो गिफ्ट डीड प्रस्तुत की है, उसके संलग्न निदेशक, प्रारंभिक, शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 17.12.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि शिक्षा विभाग द्वारा श्री संतोष कुमार कोठारी को उनके द्वारा विद्यालय हेतु पूर्व में दिये गये भवन सुपुर्द करने बाबत ही कथन किया गया है, उसमें खाली भूमि का कोई जिक्र नहीं है। जबकी विद्यालय के खेल मैदान हेतु उपयोग आने वाली भूमि

उक्त खाली भूमि को भी जरिये गिफ्ट डीड गैरनिगरानीकार संख्या 01 को दान में देने हेतु अपंजिकृत दस्तावेज गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर दिया जबकी उक्त भूमि कभी श्री संतोष कुमार कोठारी की रही ही नहीं। उक्त अपंजिकृत गिफ्ट डीड में विद्यालय से चिपति जिस खाली भूमि को दान करना बताया गया है, उसका टाईटल श्री संतोष कुमार कोठारी के पास रहा हो इसका कोई भी दस्तावेज उक्त गिफ्ट डीड में नहीं लगाया गया है। उक्त गिफ्ट डीड में मात्र शिक्षा विभाग द्वारा भवन सुपुर्दगी बाबत जारी आदेश दिनांक 17.12.2013 ही लगाया गया है। जबकी उक्त सन्तोष कुमार कोठारी द्वारा जो भवन विद्यालय हेतु दिया गया था के चिपता हुआ भुखण्ड निगरानीकार का पैतृक है वह पूर्व में ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा निगरानीकार के पिता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक SPL दिनांक 10.10.2012 जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त कूट–रचित गिफ्ट डीड के आधार पर पंचायत द्वारा जारी पट्टा खारिज योग्य है।

–निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के समय निवेदन किया कि सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मायापुर ने मौके की स्थिति के विपरित, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री की बिना जांच किये उक्त भूमि का पट्टा जारी कर न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के उपनियमों के तहत आवेदन प्राप्त होने पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 को भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकार संख्या 01 को जारी पट्टा संख्या 42 खारिज फरमावें।

B. गैरनिगरानीकार संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत सिंह ने निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 42 नियमानुसार ही जारी किया गया है। गैरनिगरानीकार करण सिंह द्वारा ग्राम पंचायत मायापुर में आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु लिखित आवेदन दिया एवं उक्त आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रूपये 70/– दिनांक 21.03.2017 को जमा करवाये। तत्पश्चात् उक्त भूमि बाबत आपत्तियों की सूचना हेतु सूचना पत्र दिनांक 06.04.2017 को ग्राम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया व गवाहों के चस्पानगी के हस्ताक्षर भी करवाये। उक्त पट्टे बाबत ग्राम पंचायत द्वारा पंचो की कमेटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई व गैरनिगरानीकार करण सिंह व पड़ोसियों के शपथ पत्र लिये जाकर समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिनांक 21.11.2017 को समस्त ग्राम पंचायत के वार्ड पंचान, उप सरपंच व सरपंच द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अन्य आवेदकों के साथ गैर निगरानीकार करण सिंह के नाम उपपंजीयन अधिकारी पीलवा से पंजीकृत करवा कर पट्टे की सम्पूर्ण राशी प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है जो विधि अनसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर

सुपुर्द किया गया जिसमें करीब 30 वर्षों तक बालिका स्कूल संचालित हुई, उक्त भवन अनुपयोगी व जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने व विद्यालय का सरकारी भवन बनने पर विद्यालय नवीन सरकारी विद्यालय भवन में स्थानान्तरण कर दी गई व दिनांक 17.12.2013 को शिक्षा विभाग द्वारा भवन पुनः सन्तोषकुमार कोठारी को सुपुर्द कर दिया जिसे सन्तोष कुमार कोठारी द्वारा निगरानीकार करण सिंह के नाम जरिये दान–पत्र सुपुर्द कर दिया। भामाशाह एस.के. कोठारी के अलावा निर्मित भूमि पर गांव के अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं रहा तथा उक्त निर्मित भवन के पश्चिम में गैरनिगरानीकार करण सिंह व सुमन कंवर का कदीमी समय से कब्जे व आधिपत्य में रही। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके कब्जे सुदा भूमि के पट्टे बनाने के निर्देश दिये जाने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया है। जिस पर वर्तमान समय में गैरनिगरानीकार करण सिंह का वास्तविक व भौतिक कब्जा है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा बहस में किये गये कथन के समर्थन में दस्तावेज की प्रतियां भी प्रस्तुत की तथा गैरनिगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा नियमानुसार जारी होन से निगरानी खारिज करने बाबत निवेदन किया।

8. पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में किये गय कथन व प्रस्तुत तर्कों पर मनन पश्चात न्यायालय का यह मत है, कि

   A. प्रस्तुत प्रकरण में पट्टा संख्या 42 की मूल पट्टा मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है, कि गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर के समक्ष मकान के 300 वर्गगज के पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक द्वारा मकान पर अपना 20 वर्ष का कब्जा होना बताया है। आवेदन में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है, कि आवेदक राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के किन नियमों के तहत पट्टा प्राप्त करना चाहता है। अतः आवेदन प्रथमतः अपूर्ण है।

   B. गैरनिगरानीकार संख्या 01 से पट्टा आवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146(1) के तहत खोली गई पट्टा मिसल के सरबरक पर ग्राम पंचायत द्वारा **"आबादी भूमि विक्रय विलेख नियम 157(2) पुराने गृह का विनियमितिकरण"** अंकित किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा पट्टा आवेदन प्रस्तुत करने पर जिसमें गैरनीगरानीकार संख्या 01 द्वारा यह स्पष्ट अंकित नहीं किया था, कि पट्टा किन नियमों के तहत वह प्राप्त करना चाहता है, को ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के प्रावधानों अनुसार गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन ग्रहण किया गया था। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा बनाने हेतु प्रावधान दिया गया है, कि **"ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोपड़ी/कच्चे गृह के**

का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।" चूँकि गैर निगरानीकार का आवेदन राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) में बताये प्रावधानों से कवर नहीं होता है अतः हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी करने हेतु ग्रहण किया गया है तो यह प्रथम दृष्ट्या नियमों के विपरीत है।

C. पट्टा 42 की मूल पट्टा मिसल संख्या 329/2017 की आदेशिका दिनांक 08.09.2017 अनुसार गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा अपने पट्टा आवेदन के साथ पट्टा आवेदन शुल्क 20/–रू. एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 (2) के अनुसार निरीक्षण शुल्क 25/–रू. व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 (3) के अनुसार नक्शा शुल्क 25/–रू. जरिये रसिद नम्बर 45 दिनांक 08.09.2017 द्वारा पंचायत कोष में जमा करवाये जाने का हवाला दिया गया है परन्तु उक्त आदेशिका में उक्त दिनांक में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

D. मिसल की आदेशिका में ग्राम पंचायत द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (2) अनुसार तीन पंचों की कमेटी का गठन किया गया व कमेटी को पंचायत कोरम में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया किया गया। परन्तु उक्त आदेशिका किस दिनांक में लिखी गई यह पत्रावली में अंकित नहीं है।

E. मिसल में उपलब्ध पंचो की कमेटी जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (2) के तहत पूर्व में गठित की गई थी द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (3) के तहत तैयार की गई है, के अवलोकन पर पाय गया कि कमेटी में नियुक्त पंचो के हस्ताक्षर हैं व साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट में कमेटि द्वारा आवास की 200/–रू. व खाली जगह 8. 75 रू. वर्गफुट की रेट तय की व साथ ही भूमि विक्रय द्वारा अथवा निलामी द्वारा बेचने बाबत अपनी स्पष्ट अनुशंषा नहीं की गई है। ग्राम पंचायत को गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी करने से पूर्व कमेटी से इस संबंध में स्पष्ट अनुशंषा प्राप्त करनी चाहिये थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कमेटि की बिना स्पष्ट अनुशंषा के गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

F. तत्पश्चात आगे की आदेशिका में मिशल को कोरम के समक्ष प्रस्तुत करने व गैरनिगरानीकार द्वारा जिस मकान के पट्टे बाबत आवेदन किया है उसे उनके पैतृक हिस्सेवार विरासत में प्राप्त करने की पुष्टि करने व गैरनिगरानीकार के भाईयों एवं पड़ोसियों को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होने व उनकी सहमती की पुष्टि की जाकर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 147 के तहत भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लेने व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के अन्तर्गत 07 दिवस

तारीख भी आदेशिका में अंकित नहीं है व आदेशिका के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।

G. इसके पश्चात की आदेशिका में दिनांक 05.10.2017 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 (1) के अन्तर्गत 07 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी करने व दिनांक 05.10.2017 को ही मौके पर गवाहों की उपस्थिति में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 (2) के अन्तर्गत चस्पानगी बतायी गयी है। मिसल में उपलब्ध आपत्ति नोटिस क्रमांक 2017/157 दिनांक 05.10.2017 जो सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर के हस्ताक्षर से जारी है व इसकी पुश्त पर 03 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिनके नाम मय सकुनत अंकित नहीं पाये गये जिससे यह स्पष्ट नहीं होता की गवाह के रूप में नोटिस पर किन व्यक्तियों ने तत्समय हस्ताक्षर किये। साथ ही दिनांक 05.10.2017 की आदेशिका में पंचायत द्वारा 07 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था परन्तु उक्त निर्णय के क्रम में जो आपत्ति नोटिस क्रमांक 2017/157 दिनांक 05.10.2017 पंचायत द्वारा जारी किया गया उसमें नोटिस जारी करने से 01 माह तक की अवधी में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत कथन किया गया है। इस प्रकार आदेशिका में लिये गये निर्णय व उस निर्णय की अनुपालना में जारी आपत्ति नोटिस में प्रकरण के संबंध में आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा में एकरूपता नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के कोरम में लिये गये निर्णय से इतर जाकर आपत्ति नोटिस जारी किया गया है।

H. **चूँकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 (1) अनुसार सामान्य स्थिति में आपत्ति नोटिस जारी करने के 01 माह के भितर–भितर आक्षेप आमंत्रित किये जाने का प्रावधान किया गया है केवल राज्य सरकार के अभियान के दौरान ही 07 दिवस की अवधि में आक्षेप आमंत्रित करने का प्रावधान है।** हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा किसी राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान में नहीं दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 05.10.2017 में 07 दिवस का जो आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत की उक्त आदेशिका में लिये गये निर्णय को अपास्त व रिव्यू किये बिना ही 01 माह की अवधी का जो आपत्तियां मांगने बाबत जो सूचना पत्र क्रमांक 2017/157 दिनांक 05.10.2021 जारी किया गया है उसे भी विधिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को रिव्यू किया जाना आवश्यक था।

I. दिनांक 05.10.2017 की आदेशिका के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पैतृक मकान का पट्टा जारी करने का निर्णय दिनांक 05.10.2017 को सर्व सहमति से लिया गया जबकी उक्त दिवस ही पंचायत द्वारा आपत्तियां मांगने बाबत सूचना पत्र क्रमांक 2017/157 दिनांक

होता है, कि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नियत समयावधी की पालना किये बिना ही नियमों से परे जाकर गैरनिगरानीकार संख्या 01 को उसके आवेदन में बताये मकान जिस पर गैरनिगरानीकार द्वारा अपना कब्जा 20 वर्ष का बताया है, का पट्टा नियमों से परे जाकर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) तहत जारी करने का निर्णय किया गया है।

J. दिनांक 05.10.2017 की आदेशिका जिसमें पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, उस आदेशिका के अंत में भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से हस्तगत प्रकरण की विधिकता व पट्टा बनाने हेतु बनाये गये प्रावधानों की पंचायत द्वारा इस प्रकरण में पूर्ण पालना की गई है, हस्तगत पट्टा जारी करने हेतु संपादित की गई सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिये प्रयाप्त है।

K. पट्टा मिसल में गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व उसके संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन में पाया गया कि गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा शपथ पत्र में मकान पर 02 वर्ष का कब्जा बताया है व संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है, कि उक्त मकान व भू–भाग जिसका पट्टा गैरनिगरानीकार द्वारा चाहा गया है वह उसका पैतृक न होकर उनके द्वारा श्री सन्तोष कुमार कोठारी से गिफ्ट में प्राप्त किया है जबकी हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा मकान व भू–भाग गैर निगरानीकार संख्या 01 का पैतृक बताकर व पुराने कब्जे के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है।

L. हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 08.09.2017 पट्टे बाबत प्रस्तुत आवेदन में मकान पर कब्जा 20 साल पुराना बताया जाकर मकान का पट्टा चाहा गया है व मिसल में पेश अपने शपथ पत्र में स्वयं ने स्वीकार किया है कि कब्जा 02 साल पुराना है व मकान व भूखण्ड श्री कैलाश कुमार कोठारी से दान में 27 फरवरी 2016 को प्राप्त होना बताया है। इससे स्पष्ट है, कि गैर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया उसमें उनके द्वारा मिथ्या जानकारी दर्ज की गई थी। अतः ग्राम पंचायत को उक्त आवेदन जिसमें आवेदक द्वारा जानबूझकर गलत तथ्य अंकित किये थे के आधार पर पट्टा जारी किया जाना न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है।

M. गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा अपने शपथ पत्र के संलग्न श्री सन्तोष कुमार कोठारी से भूखण्ड गिफ्ट में प्राप्त करने बाबत जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया वह एक अपंजिकृत दस्तावेज है जिस पर पंजियन नियमों के अनुरूप निर्धारित पंजियन शुल्क का क्रेता द्वारा भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज पर निर्धारित पंजियन शुल्क का भुगतान नहीं होने से

नियमानुसार नहीं हुआ है। अतः उक्त अपंजिकृत दस्तावेज जिसकी विधिकता पंजियन शुल्क के भुगतान नहीं किये जाने से शुन्य है के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 01 का आवेदन में बताये मकान व भूमि पर कब्जा मानकर पट्टा जारी करना नियमों व प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

N. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि जिस गिफ्ट डीड के आधार पर गैरनिगरानीकार द्वारा जैरनिगरानी भूखण्ड पर अपना पुराना कब्जा बताया है उसमें गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में गिफ्ट डीड निष्पादित करने वाले व्यक्ति श्री संतोष कुमार कोठारी द्वारा भवन के साथ लगी खाली भूमि का दान किस आधार पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 को किया। क्योंकि उक्त गिफ्ट डीड में भवन के पास की खाली भूमि का टायटल श्री संतोष कुमार कोठारी के पास रहा हो इस बाबत कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। अतः बिना किसी ठोस आधार के निष्पादित उक्त गिफ्ट डीड को विधकता का समग्र परिक्षण/विवेचन जो पूर्व बिन्दु अनुसार भी शुन्य है, ग्राम पंचायत द्वारा हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया प्रतित होता है।

O. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि जिस गिफ्ट डीड के आधार पर गैरनिगरानीकार द्वारा जैरनिगरानी भूखण्ड पर अपना पुराना कब्जा बताया है, उक्त भूखण्ड की खाली भूमि जो भवन के चिपते हैं का एक अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक SPL दिनांक 10.10.2012 निगरारीकार के पिता के पक्ष में जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जो पंचायत द्वारा ही पूर्व में जारी किया गया है, से उक्त जैरनिगरानी जायगा की खाली भूमि श्री संतोष कुमार कोठारी व बाद में गैरनिगरानीकार के कब्जे में निर्विवाद रूप से लम्बे समय से रहा हो पर प्रथम दृष्ट्या संशय प्रतित होता है।

P. हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा बिन्दु 8(A) अनुसार गैरनिगरानीकार द्वारा पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी करने हेतु मिसल दर्ज की गई थी व बाद में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत गैरनिगरानीकार को पट्टा जारी करने का निर्णय लेना भी आश्चर्यजनक है जबकी उक्त दोनो नियम में पट्टे जारी करने हेतु आधार सर्वथा भिन्न–भिन्न है।

Q. पट्टा मिसल में ग्राम पंचायत द्वारा जिन गवाहों के बयानों के आधार पर पट्टा हेतु आवेदित मकान को गैर निगरानीकार का पैतृक माना है का अवलोकन करने पर पाया कि गैरनिगरानीकार के पट्टे हेतु आवेदित मकान के उत्तर दिशा के पड़ोसी श्री शक्ति सिंह पुत्र दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी बवाल के बयान दिनांक 20.10.2017 व 05.11.2017 के बयानों में उनके हस्ताक्षर अलग अलग किये हुयें है जो प्रथमतया कूटरचित प्रतीत होतें हैं। उक्त बयानों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार को मकान का पट्टा जारी करने का जो निर्णय लिया गया है, उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ

जिला कलक्टर

02 साल का कब्जा बताया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से गवाहों के बयान सर्वथा भिन्न होने से गवाहों के बयानों भी मिथ्या व विश्वसनीय प्रतित नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व गवाहों के बयानों में जो भिन्नता है, इसका भी कोई उचित समाधान/औचित्यपूर्ण विवेचन नहीं किया गया है। जबकी पंचायत को पट्टा जारी करने से पूर्व इस् प्रकार के विरोधाभाष जो पत्रावली पर प्रथमदृष्टया सामने दृष्टीगत होतें हैं उनका उचित समाधान/औचित्यपूर्ण विवेचन पश्चात ही पट्टा जारी करना चाहिऐ था, जो पंचायत द्वारा हस्तगत प्रकरण में किये बिना ही गैरनिगरानीकार को पट्टा जारी करना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

R. आबादी क्षैत्र में आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार विधि द्वारा ग्राम पंचायत का प्रदान किया गया है। चूँकि आवासीय पट्टा जारी करना एक विधिक प्रक्रया है अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाना अपेक्षित है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में बिन्दु संख्या 8/A से 8/R में न्यायालय के समक्ष आये तथ्यों के आधार पर न्यायालय का मत है कि गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री करण सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपूर्ण पट्टा आवेदन स्वीकार कर उक्त आवेदन के आधार पर पट्टा जारी करने हेतु विधि द्वारा स्थापित नियमों से परे जाकर मनमाने व ढंग से ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही संपादीत की गई है व ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी विधिक रूप से पूर्ण विवेचन व परिक्षण किये बिना ही आबादी भूमि का जो पट्टा संख्या 42 दिनांक 21.11.2017 जारी किया गया है उसमें ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा भारी विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उक्त आबादी भूमि का पट्टा संख्या 42 दिनांक 21.11.2017 व उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही को अपास्त व शून्य घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के संदर्भ में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 42 दिनांक 21.11.2017 व इसके जारी करने के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा संपादित की गई समस्त कार्यवाही को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपास्त व शून्य घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना